1/2319

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टी.ए./3552/2011/बाड़मेर

1. श्री तगाराम)
2. श्री सकाराम)
3. श्री कानाराम) पिसरान श्री पूनमाराम
4. श्री छगनाराम)
5. श्री अर्जुनराम)
6. श्री चेलाराम पुत्र श्री मांगाराम
7. श्रीमती पपली बेवा श्री मांगाराम
8. श्रीमती प्यारी बेवा श्री पूनमाराम
   सभी जाति मेघवाल निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

..... प्रार्थीगण

Reportable

बनाम

1. श्री दलाराम)
2. श्री मोहन)
3. श्री बुधाराम) पिसरान श्री दुर्गाराम
4. श्री पारस)
5. श्रीमती हत्थू पत्नि श्री दुर्गाराम
6. श्री नगाराम)
7. श्री जोराराम)
8. श्री मीठाराम) पिसरान श्री वहनाराम
9. श्री दूदाराम)
10. श्री बाबूराम)
11. श्री ओमप्रकाश)
12. श्रीमती छोगी बेवा श्री वहनाराम
13. श्री रणछोड़ पुत्र श्री गिरधारीराम
14. श्री मेहरा पुत्र श्री गिरधारीराम
15. श्रीमी तीजो पत्नि श्री गिरधारीराम
    सभी जाति मेघवाल निवासीगण भिण्डा कुआ तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
16. राजस्थान सरकार।

..... अप्रार्थीगण

खण्ड पीठ

श्री करण सिंह राठौड़, सदस्य

श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री विरेन्द्र सिंह : अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री ओ.एल.दवे : अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 22/9/2011

प्रार्थीगण द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मु0 जोधपुर के निर्णय दिनांक 11/12/07 (प्रकरण संख्या 49/2005) से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

2. हस्तगत पुनरीक्षण प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक नियमित वाद अधिनियम की धारा 88,53 एवं 188 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बालोतरा के न्यायालय में अप्रार्थीगण श्री दलाराम वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का जवाब प्रकरण में प्रस्तुत हुआ तथा उन्होंने अपना प्रतिदावा (Counter claim) भी प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने इस प्रकरण में 8 विवाद्यक निर्धारित किये तथा विवाद्यकवार अपना स्पष्ट अभिमत पारित करते हुए प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध श्री दलाराम वगैरह ने एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मु0 जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की। अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित आदेश 14 नियम 5 व धारा 107 दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया। जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपीलीय न्यायालय ने 500/– रूपये के हर्जाने पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपने जवाबदावे में (Written statement) में संशोधन करने का आदेश दे दिया तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25/7/05 को अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस इस प्रकरण में सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद विधिसम्मत तरीके

से डिक्री किया गया है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का तथ्यात्मक एवं विधिक दोष नहीं था। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के बाद दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 सपठित आदेश 14 नियम 5 एवं धारा 107 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र में उन्होंने परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाबदावे में विशेष आपत्तियों के रूप में यह इबारत जुड़वानी चाही है कि पिछले 12 वर्ष में वादीगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं होने से उनके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत समाप्त हो चुके हैं और प्रतिवादीगण के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण का वाद मियाद बाहर है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा श्री दलाराम वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस स्तर पर मात्र 500/- रूपये के हर्जाने पर स्वीकार करने में भयंकर कानूनी भूल की है क्योंकि आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस प्रकार के संशोधन का आदेश अपीलीय न्यायालय के इस स्तर पर दिया जाना विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं था। उनका यह भी कथन है कि इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने श्री दलाराम द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक निर्धारित किये थे तथा निर्धारित विवाद्यकों पर स्पष्ट अभिमत देते हुए निर्णय पारित किया था। उनका कथन है कि इन संशोधनों से इस संपूर्ण दावे की प्रकृति ही परिवर्तित हो जायेगी। विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि विरूद्ध बताया एवं अपास्त करने का कथन किया। उन्होंने अपनी बहस के समर्थन में 2010 आर.आर.टी. (1) पृष्ठ 238 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यापक न्यायहित में इस प्रकरण की परिस्थितियों में जो निर्णय पारित किया है वह पूर्णतः विधिसम्मत है। उनका कथन है कि इस प्रकरण में अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही यह कार्यवाही निष्पादित की है तथा यह संशोधन अनुमत कर दिये जाने से पक्षकारों को न्याय मिलेगा तथा यदि आवश्यक होगा तो नया विवाद्यक भी निर्धारित किया जा सकेगा। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी प्रकरण में किसी भी स्तर पर व्यापक न्यायहित में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने बहस के समर्थन में आर.बी.जे. 2004 पृष्ठ 551, आर.आर.डी. 1984 एन.यू.सी. 47, ए.आई.आर. 2003 (सुप्रीम कोर्ट) पृष्ठ 3167 के न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये। उन्होंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सारहीन होने के कारण खारिज करने का कथन किया।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विद्वान

अधिवक्ताओं द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में यह एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में एक नियमित वाद अधिनियम की धारा 88,53 एवं 188 के अंतर्गत अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। यह सही है कि इस नियमित वाद में प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित अभिकथनों में अन्य प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा आठ विवाद्यक निर्धारित किये गये थे तथा इन विवाद्यकों पर विवाद्यकवार स्पष्ट अभिमत परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध श्री दलाराम वगैरह द्वारा प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर-जैसलमेर मु0 जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस अपील की सुनवाई के दौरान ही अपीलार्थी ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 सपठित आदेश 14 नियम 5 एवं धारा 107 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाबदावे में संशोधन का अनुरोध किया।

8. इस प्रकरण में महत्वपूर्ण घटनाओं का समय चक्र (Chronology) निम्न प्रकार है :-

22/8/2000	प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में दावा प्रस्तुत।
24/4/2001	अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा (Written statement) प्रस्तुत जिसमें प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया।
17/9/2001	विवाद्यक निर्धारित किये गये।
25/7/2005	परीक्षण न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार निर्णय पारित।
03/8/2005	अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।
30/6/2007	अपील के बहस पर नियत होने के स्तर पर दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17, आदेश 14 नियम 5 एवं धारा 107 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा लिखित अभिकथनों में संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत

11/12/2007 अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र 500/- रूपये के हर्जाने पर स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर दिया। परीक्षण न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित।

07/01/2008 पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई।

9. इस प्रकरण के उपरोक्त समय-चक्र (Chronology) से यह स्पष्ट है कि इस वाद में प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिदावे के साथ जवाबदावा (Written statement) प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने विवाद्यक निर्धारित किये हैं। प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य भी प्रस्तुत की है। अपील में भी अपीलार्थी/प्रतिवादी ने इन प्रस्तावित संशोधनों पर ध्यान नहीं दिया। यह अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में बहस पर चल रही थी। अचानक ही दिनांक 30/6/07 को अपीलार्थी/प्रतिवादी ने परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत अपने लिखित अभिकथनों में संशोधन हेतु दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने अपने लिखित अभिकथनों में जो संशोधन चाहा है वह इस प्रकार का नहीं है कि प्रतिवादीगण को उचित तत्परता बरतने के बाद भी वांछित संशोधनों के बारे में जानकारी नहीं हो सकी थी।

10. इस न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष श्री दलाराम वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 तथा आदेश 14 नियम 5 एवं धारा 107 में निम्न प्रावधान किये गये हैं :-

C.P.C .- Or.6, Rule 17:

Amendment of pleadings --- The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties.

Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the Court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial.

11. उपरोक्त प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह किसी प्रकरण की परिस्थितियों में व्यापक न्यायहित में इस प्रावधान के अंतर्गत वादपत्र में संशोधन की ईजाजत दे सकता है। सामान्यतः यह अनुमति किसी प्रकरण में विचारण (Trial) प्रारम्भ होने से पहले दी जाती है। इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा इस वाद का निर्णय दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद अंतिम

रूप से कर दिया गया था तथा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील बहस पर विचाराधीन रहने के दौरान अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस स्तर पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था।

12. दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधानों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि किसी प्रकरण के विचारण प्रारम्भ होने से पहले ऐसे संशोधन किये जा सकेंगे। इस प्रकरण में तो वाद का निस्तारण भी हो चुका है तथा अपील भी बहस के स्तर पर थी। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण ने केवल कानूनी आधारों पर अपना लिखित अभिकथनों में संशोधन कर इस प्रकरण में एक नया मोड़ ला रहे हैं। यह संशोधन इस प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।

C.P.C. Order 5:

5. Power to amend and strike out issues.- (1) The Court may at any time before passing a decree amend the issues or frame additional issues on such terms as it thinks fit, and all such amendments or additional issues as may be necessary for determining the matters in controversy between the parties shall be so made or framed.

(2) The Court may also, at any time before passing a decree, strike out any issues that appear to it to be wrongly framed or introduced.

C.P.C. Section 107:

Powers of appellate Court ---(1) Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, an appellate Court shall have power--

(a) to determine a case finally,
(b) to remand a case;
(c) to frame issue and refer them for trial;
(d) to take additional evidence or to require such evidence to be taken.

(2) Subject as aforesaid, the appellate Court shall have the same powers and shall perform as nearly as may be the same duties as are conferred and imposed by this Code on Courts of original jurisdiction in respect of suits instituted therein.

13. इसी प्रकार दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 5 में न्यायालय को विवाद्यकों मे परिवर्तन करने का अधिकार है लेकिन इस प्रकरण में ऐसा कोई सद्भावनापूर्ण कारण नहीं है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभिनिर्णित विवाद्यकों में संशोधन किया जावे। इस न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 107 का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। इस प्रावधान के अंतर्गत अपील के बहस पर नियत होने की स्थिति में अपीलार्थी को परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत लिखित अभिकथनों में संशोधन स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार अपीलीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेवाजीतु बिल्डर्स एवं डवलपर्स के प्रकरण में (आर.आर.टी. 2010(1) पृष्ठ 238) के

न्यायिक दृष्टान्त में यह अभिमत प्रकट किया है कि संशोधनों से संबंधित आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिये :-

On critically analyzing both the English and Indian cases, some basic principles emerge which ought to be taken into consideration while allowing or rejecting the appliation for amendment.

(1) Whether the amendment sought is imperative for proper and effective adjudication of the case?

(2) Whether the application for amendment is bona fide or mala fide?

(3) The amendment should not cause such prejudice to the other side which cannot be compensated adequately in terms of money;

(4) Refusing amendment would in fact lead to injustice or lead to multiple litigation;

(5) Whether the proposed amendment constitutionally or fundamentally changes the nature and character of the case? and

(6) As a general rule, the Court should decline amendments if a fresh suit on the amended claims would be barred by limitation on the date of application.

15. हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई उपरोक्त कसौटी पर प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण नहीं किया। यदि उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यानपूर्वक देखा जावे तो अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत यह आवेदन पत्र पोषणीय ही नहीं था क्योंकि इस आवेदन पत्र को स्वीकृत करने से सम्पूर्ण प्रकरण की प्रकृति बदलती है तथा पक्षकारों के बीच अनावश्यक रूप से न्यायिक कार्यवाहियों की संख्या भी बढ़ती है।

16. इस प्रकरण में वांछित संशोधनों के कारण इस सम्पूर्ण वाद की प्रकृति पूर्णतया बदल जायेगी। इस प्रकरण की परिस्थितियों में यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकरण को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने के लिये नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस प्रकरण की स्थिति को पूर्णतया परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार ऐसे संशोधन अपील के स्तर पर स्वीकार नहीं किये जा सकते थे।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी स्पिनिंग एण्ड विविग मिल्स के प्रकरण (1976(4) SSC पृष्ठ 320) में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

> **"It is true that inconsistent pleas can be made in pleadings but the effect of substitution of paragraphs 25 and 26 is not making inconsistent and alternative pleadings but it is seeking to displace the plaintiff completely from the admissions made by the defendants in the written statement. If such amendments are allowed the plaintiff will be irretrievably prejudiced by being denied the opportunity of extracting the admission from the defendants. The High Court rightly rejected the application for amendment and agreed with the Trial Court."**

18. इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने ऐसे कोई आधार अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताये, जिससे यह स्पष्ट हो कि उन्होने पूर्ण सदभावना के साथ प्रयास करने के बावजूद भी उन बिन्दुओं को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाबदावे में नहीं उठा पाये थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2007(1) आर.आर.टी. (सुप्रीम कोर्ट) पृष्ठ 297 में भी यह स्पष्ट अभिमत पारित किया है कि इस प्रकार के संशोधन की ईजाजत दिया जाना उचित नहीं है।

19. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के प्रकाश में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को विधि अनुकूल नहीं पाता है। इस प्रकरण विशेष में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए इस प्रकरण में अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को अपने जवाबदावे में संशोधन करने की ईजाजत दी है। इस ईजाजत के दिये जाने से इस सम्पूर्ण प्रकरण की समग्र प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन आ जायेगा एवं अनावश्यक रूप से इस वाद में जटिलताएं बढ़ेंगी। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित यह आदेश विधिक रूप से दोषपूर्ण एवं क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है।

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/12/07 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/09/11

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य

(करण सिंह राठौड)
सदस्य 22/09/11